प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर।

सेवा में,

प्रबन्धक,
स्व0 रामलखन कान्वेंट स्कूल बेलापार
नौपेड़वा, जौनपुर।

पत्रांक:बे0–2/ 5438.64 /2009–10 दिनांक 27-8.09

विषय: प्राथमिक विद्यालय की अस्थायी मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके आवेदन पत्र के सम्बन्ध में उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/क्षेत्रीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्र0उ0वि0नि0/नगर शिक्षा अधिकारी की आख्या एवं संस्तुति के आधार पर आपके विद्यालय को कक्षा 1 से 5 तक अस्थायी मान्यता आदेश निर्गत तिथि से निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जा रही है।

1. समुचित शिक्षण सामग्री की व्यवस्था की जाय।
2. अध्यापकों/कर्मचारियों को बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों के अनुसार वेतनमान दिया जाय।
3. स्वीकृत पाठ्य पुस्तकें पढ़ाई जाय।
4. विभागीय नियमों/निर्देशों का पालन किया जाय।
5. बेसिक शिक्षा परिषद के नियमों के अनुसार तथा उसमें प्राविधानित योग्यताधारी अध्यापक नियुक्ति किये जाय।
6. बेसिक मान्यता प्राप्त विद्यालय (अध्यापक) की सेवा भर्ती नियमावली 1975 के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति आदि की जाय तथा नियमों का पूर्ण पालन किया जाय।
7. विद्यालय के पास निजी भूमि/भवन मानक के अनुसार हों।
8. विद्यालय से सम्बन्धित सभी भूमि विद्यालय के नाम होना आवश्यक है।

यदि आगामी सत्र में उपरोक्त नियमों का पालन करते हुए सभी प्रतिबन्धों की पूर्ति नहीं की जाती है और इसकी आख्या इस कार्यालय में प्रमाण सहित नहीं प्रस्तुत होती है तथा किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन करने पर या विभागीय आदेशों का पालन न करने पर प्रदत्त मान्यता किसी भी समय समाप्त कर दी जायेगी।

भवदीय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर।

पृ0सं0:बे0–2/ /2009–10 दिनांक: उसी तिथि को।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
2. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, जौनपुर।
3. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्र0उ0वि0नि0/नगर शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित क्षेत्र।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी।
5. अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, जौनपुर।
6. पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जौनपुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर।

Manager
R. L. Convent School
Belapar,Nauperwa,Jaunpur

Principal
R.L. Convent School
Belapar,Nauperva,Jaunpur

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
जौनपुर।

सेवा

प्रबन्धक,
रामलखन जू0हा0 स्कूल,
बेलापार नौपेड़वा बक्शा,
जौनपुर।

पत्रांकः बे0–2/मान्यता/14016-20/2009–10 दिनांक 24/2/010

विषय :– अशासकीय उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8) अस्थायी मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश सं0–646/15–97–18एस.(7) दिनांक 13.08.1997 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत मण्डलीय स्तर पर गठित मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय को कक्षा 6 से 8 तक अस्थायी आदेश निर्गत तिथि से प्रदान की जाती है।

प्रत्येक कक्षा हेतु एक वर्ग की अनुमति प्रदान की जाती है। इस प्रकार विद्यालय में कुल तीन वर्ग मान्यत होंगे। अतिरिक्त वर्गो के संचालन हेतु अनुमति पृथक से नियमानुसार प्राप्त की जायेगी। शासनादेश में निहित मानकों के अनुसार आपके विद्यालय हेतु निम्नलिखित शिक्षक एवं शिक्षणैत्तर कर्मचारियों के पद अनुमान्य होंगे :–

प्राधानाध्यापक	:	एक
सहायक अध्यापक	:	चार
लिपिक	:	एक
परिचारक	:	एक

उक्त जनशक्ति में त्रिभाषा/प्रसार/क्राफ्ट अध्यापक सम्मिलित माने जायेंगे। किन्तु त्रिभाषा सूत्रान्तर्गत पद की अनुमान्यता हेतु उपर्युक्त सृजित सहायक अध्यापकों के चार पदों में से पद परिवर्तन सम्बन्धी पृथक से आवेदन पत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति में मान्यता प्रत्याहरण का अधिकार उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद को होगा।

(धीरेन्द्र नाथ सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर

पृ0सं0/बे0–2/मान्यता/ /2009–10 दिनांक उसी तिथि को।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अपर शिक्षा निदेशक (बे0/मा0) उ0प्र0 शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
2. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
3. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) पंचम मण्डल वाराणसी।
4. उपबेसिक शिक्षा अधिकारी जौनपुर।
5. सम्बन्धित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी जौनपुर।
6. जिलासमाज कल्याण अधिकारी जौनपुर।
7. अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जौनपुर।
8. पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी जौनपुर।

Manager
R. L. Convent School
Belapar,Nauperwa,Jaunpur

Principal
R.L. Convent School
Belapar,Nauperva,Jaunpur

(धीरेन्द्र नाथ सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर।